

NULM-PMC/002 /SM&ID/Comm /2015-16/384 न०वि० एवं आ० वि०

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा०, प्र० से०  
प्रधान सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त (सभी नगर निगम)

कार्यपालक पदाधिकारी (नगर परिषद/नगर पंचायत)

छपरा/ दानापुर/ सहरसा/ सासाराम/ हाजीपुर/ डेहरी/ सिवान/ बेतिया/ मोतिहारी/ बगहा/  
किशनगंज/ जमालपुर/ बक्सर/ जहानाबाद/ औरंगाबाद/ लखीसराय/ नवादा/ जमुई/ अररिया/  
मधुबनी/ सीतामढी/ गोपालगंज/ सुपौल/ समस्तीपुर/ शेखपूरा/ मधेपुरा/ अरवल/ भभुआ/  
खगडिया/ बांका/ शिवहर।

पटना, दिनांक-24/8/16

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत लाभार्थियों को चक्रीय निधि (Revolving Fund) वितरण करने तथा कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु शिविर आयोजन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक 42 DAY-NULM शहरों में प्रासांगिक योजना कार्यान्वित किया जा रहा है, उन शहरों में माह के प्रत्येक दूसरे एवं चौथे शनिवार को निकाय स्तर पर शिविर आयोजित किया जाना है, इस आयोजन में नगर मिशन प्रबंधकों की प्रमुख भूमिका होगी।

2. इस शिविर में DAY-NULM के कार्यान्वयन से संबंधित सभी Stake Holders, यथा- APMAS, कौशल प्रशिक्षण प्रदायी संस्था (STPs), एवं NASVI -के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
3. आयोजित शिविर में पात्र स्वयं सहायता समूहों एवं क्षेत्र स्तरीय संगठनों को चक्रीय निधि (Revolving Fund) उपलब्ध कराया जाय तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उन्मुखीकरण का कार्य भी कराया जाय।
4. नगर आयुक्त/ नगर कार्यपालक पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे नगर मिशन प्रबंधकों के माध्यम से सघन अनुश्रवण करायें ताकि समय पर प्रगति सुनिश्चित हो सके।

विश्वासभाजन

24/8/2016  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।